हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

मंगलवार, 8 मार्च, 2022/17 फाल्गुन,1943(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 व 2017-18 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-15, 2015-16 व 2016-18 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0पी0टी0-बी0(6)-1/2000-II दिनांक 06.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.12.2021 को प्रकाशित;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, दफतरी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-3/2020 दिनांक 06.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 08.12.2021 को प्रकाशित;और

(iii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियमन एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे (विलम्ब के कारणों सहित) ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का 207**वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 208**वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 209**वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **51वां मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा 3.1 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **52वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा 3.1 से 3.7 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति का **22वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के दशम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान:-

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171 004 यशपाल शर्मा,

दिनांक: 07 मार्च , 2022 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(चौदहवां सत्र)

मंगलवार, 8 मार्च, 2022/ 17 फाल्गुन, 1943 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या	शुद्धियां
	तारांकित प्रश्न
*4922	"(ग) भाग की पहली पंक्ति में इन को "**इस**" पढ़ा जाए ।"
*4935	"(ख) भाग की पहली पंक्ति में "**भरने**" को विलोप किया गया।"

शिमला-171004
दिनांक: 07.03.2022

यशपाल शर्मा,
सचिव।

****